(135)

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

## समक्ष एम.के. सिंह

## सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 554/II/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.02.1998 पारित द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 47/अ–59/1995–96

नारायण तनय रामचरन अहिरवार (हरिजन)
निवासी–ग्राम जिजोरा तहसील निवाड़ी जिला–टीकमगढ (म.प्र.)

—— आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन

—— अनावेदक

श्री के.के.द्विवेदी, धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक आवेदक
श्री वी.एन.त्यागी, सूची अभिभाषक

## आदेश

(आज दिनांक .18./02/2016)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 47/अ–59/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 09.02.1998 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, टीकमगढ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि ग्राम बबेडी जंगल स्थित भूमि के खसरा नं. 37/2 में से 5 एकड़ पर उसका लगभग 20 वर्षो से कब्जा है। तथा इस हेतु काफी राशि व्यय करके भूमि को कृषि योग्य बनाया है, तथा कुँआ भी खुदवाया है। अतः यह भूमि पठार से कंजर में परिवर्तित करके उसके साथ व्यवस्थापित की जाये। आवेदक द्वारा एक अन्य आवेदन पत्र पुनः प्रस्तुत कर बताया कि उसने त्रुटिवश खसरा नं. 37/2 का उल्लेख कर दिया है जबकि वास्तविक रूप से खसरा नं. 39/2 हे0 में से 5 एकड़ भूमि उसके नाम व्यवस्थापित किये जाने के मांग की गयी। उक्त आवेदन पत्र की जॉच एवं प्रतिवेदन देने हेतु भायब तहसीलदार ओरछा

को भेजा गया। नायब तहसीलदार द्वारा सर्वप्रथम प्रकरण में खसरा नं. 37/2 के संबंध में इस्तहार जारी कर आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी। साडा ओरछा से राय भी मंगायी गयी। तथा पटवारी प्रतिवेदन भी प्राप्त किया गया। नायब तहसीलदार ने स्थल निरीक्षण कर एवं साडा पटवारी आदि से प्रतिवेदन प्राप्त कर अपने प्रतिवेदन दिनांक 20.05.1993 द्वारा भूमि को पठार से बंजर में परिवर्तित करने की अनुशंसा की गयी अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 16.07.1993 द्वारा प्रकरण पुनः नायब तहसीलदार को कुछ बिन्दुओं पर जांच करने हेतु भेजा। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 03.12.1993 द्वारा प्रकरण अनुशंसा करते हुये अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी को भेजा। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31.12.1993 को प्रकरण में अनुशंसा करते हुये कलेक्टर टीकमगढ़ को भेजा। कलेक्टर टीकमगढ़ ने दिनांक 02.06.1994 को पुनः इस्तहार जारी करने तथा साडा ओरछा से आवेदित भूमि के खसरा नं. पुनः के संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी निवाडी को भेजा। और अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण नायब तहसीलदार को भेजा। नायब तहसीलदार ने पुनः इस्तहार जारी कर आपत्तियाँ आमंत्रित की और साडा ओरछा से अभिमत प्राप्त कर दिनांक 16.11.1994 द्वारा भूमि पुनः पठार से बंजर में परिवर्तित कर आवेदक के साथ व्यवस्थापित करने की अनुशंसा करते हुये प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को भेजा। तदोपरांत कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 03.04.1995 से आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी। जो पारित आदेश दिनांक 09.02.1998 से अपील ग्राह्य की जाकर कलेक्टर टीकमगढ़ को इस निर्देश के साथ वापिस की गयी थी। कि वे विवादित भूमि के पठार में से 5 एकड़ की नोईयत परिवर्तित कर आवेदक के साथ व्यवस्थापित की जाये। किन्तु उक्त आदेश का पालन आज दिनांक तक नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है।

3– आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि उपरोक्त प्रकरण में विवादित भूमि पर आवेदक का विगत 20 वर्षो से कब्जा काश्त करके चला आ रहा है। इस हेतु उसने भूमि को उपयोगी बनाने में शारिरिक एवं आर्थिक व्यय किया है। भूमि में कुँआ खुदवाया गया है ऐसी स्थिति में भूमि को पठार से परिवर्तित कर उसके साथ व्यवस्थापित किये जाने की मांग की गयी है। जिसके संबंध में नायब तहसीलदार ओरछा एवं अनुविभागीय अधिकारी निवाडी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किये गये है। उक्त प्रतिवेदनों में भूमि को पठार से परिवर्तित कर बंजर घोषित किये जाने तत्पश्चात् भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के नाम किये जाने की अनुशंसा की गयी है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त जांच प्रतिवेदनों एवं आवेदक की साक्ष्य तथा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा पारित किया गया है वह

अपास्त किया जाये एवं अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा दिये गये आदेश का आज तक पालन नहीं किये जाने से तत्काल् पालन कराये जाने का निवेदन किया गया। साथ ही साथ अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी निवेदन किया कि आवेदक द्वारा भूमि खसरा नं. 37/2 में से 5 एकड़ भूमि की मांग पूर्व में की थी। इसके पश्चात् उसके द्वारा पुनः आवेदन पेश कर 39/2 में से भूमि की मांग की है। किन्तु प्रकरण के विचारण के दौरान भूमि खसरा नं 39/2 की भूमि शासन हित में ले ली गयी हैं। ऐसी स्थिति में उसमे खसरा नं. 37 में से भूमि दिये जाने का निवेदन किया है।

4– अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से अपने तर्को में यह बताया कि व्यक्ति विशेष के आवेदन पत्र पर भूमि की नोईयत परिवर्तित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में जो आदेश कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा पारित किया गया है वह विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखा जाये एवं जहाँ तक अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के आदेश का प्रश्न है तो इस संबंध में उनके द्वारा आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। अब आवेदक को उक्त आदेश का अमल कराया जाना है ऐसी स्थिति में इस न्यायालय से आवेदक को कोई सहायता नहीं दी जा सकती। अंत में निगरानी अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह अविवादित तथ्य है कि आवेदक ने विवादित भूमि का व्यवस्थापन आवेदन पत्र कलेक्टर टीकमगढ़ को पेश किया जिसे जांच एवं प्रतिवेदन हेतु नायब तहसीलदार ओरछा को भेजा गया नायब तहसीलदार द्वारा आम इश्तहार जारी किया पर नियत तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ओरछा द्वारा दिनांक 13.09.1994 को पुनः अभिमत दिया गया कि आवेदित भूमि पर कोई योजना प्रस्तावित नहीं है तथा उन्हे पठार से बंजर घोषित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हल्का पटवारी ने अपने रिपोर्ट दिनांक 18.11.1993 में स्पष्ट किया कि आवेदक भूमिहीन है एव उसके परिवार में कोई भूमि नहीं है आवेदक द्वारा रसीदों की फोटो प्रतियाँ प्रस्तुत की गयी है जिसमें वर्ष 1983–84 मे आवेदक पर अतिक्रमण प्रकरण में 25 रूपये जुर्माना किया गया था। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा है तथा भूमि को कृषि उपयोगी बनाने हेतु उसने शारीरिक एवं आर्थिक व्यय किया है कुँआ का निर्माण करवाया गया है। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा आवेदन पत्र इस आधार पर अमान्य किया गया है कि आवेदित भूमि भविष्य में औद्योगिक प्रयोजन के लिये महत्वपूर्ण है अतः पठार से बंजर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है जबकि साडा ओरछा ने किसी योजना में समाविष्ट न होना बतलाया है ऐसी स्थिति में कलेक्टर का निष्कर्ष अभिलेख के अनुसार नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। चूकि प्रकरण में नायब तहसीलदार ओरछा एवं अनुविभागीय अधिकारी निवाडी द्वारा जॉच प्रतिवेदन दिये

जाकर भूमि व्यवस्थापित किये जाने की अनुशंसा की गयी है। ऐसी स्थिति में भी अनुशंसा एवं जॉच प्रतिवेदन के विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिये। इसके अलावा इस प्रकरण में अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.02.1998 में भूमि को पठार में से 5 एकड़ नोईयत परिवर्तित कर आवेदक के नाम भूमि व्यवस्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु आज दिनांक तक उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया है। इस संबंध में काफी समय व्यतीत हो गया है इसलिये प्रकरण का निराकरण इस स्तर पर किया जा रहा है। आवेदक द्वारा किये गये निवेदन के आधार पर उसे भूमि खसरा नं. 37 में से भूमि दिये जाने के आदेश दिया जाना उचित होगा।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा आदेश दिनांक 09.02.1998 एवं कलेक्टर जिला टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.1995 विधिवत् एवं औचित्य पूर्ण नहीं होने से निरस्त किया जाते है एवं खसरा नं. 37 में से रकबा 5 एकड आवेदक के हित में व्यवस्थापित की जाती है।

(एम.पी. सिंह )
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर